संख्या 504 /कार्मिक–2/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः12अप्रैल, 2004

विषयः– **प्रभारी के रूप में सौपे गये कार्य के लिये विभागाध्यक्ष के पदनाम का उपयोग न किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय विभागों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के पदों पर नियमित चयन न होने के कारण अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठतम अधिकारी को विभागाध्यक्ष के पदों अथवा अन्य उच्चतर पदों के नैत्यिक कार्यो के निवर्हन हेतु प्रभारी बनाया गया है। प्रायः यह देखने में आया है कि ऐसे अधिकारी जिन्हें विभागाध्यक्ष एवं अन्य उच्चतर पद के कर्तव्यों के निवर्हन हेतु प्रभारी अधिकारी बनाया गया है वे अपने पत्राचार, कार्यालयों अथवा वाहनों में प्रभारी का उल्लेख करने बजाय विभागाध्यक्ष अथवा उच्चतर पद के नाम का प्रयोग कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे भविष्य में अपने पत्राचार, कार्यालय तथा वाहनों में प्रभारी का ही उल्लेख करेंगे। विभागाध्यक्ष अथवा उच्चतर पद के पदनाम का उल्लेख नहीं करेंगे। दो उदहारण दिये जा रहे हैंः–

2.1 किसी विभाग में निदेशक का पद है किन्तु इस पद पर पूर्णकालिक निदेशक की तैनाती नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो

अपर निदेशक, निदेशक के पदभार का निवर्हन कर रहे हैं तथा विभाग द्वारा जिन्हें निदेशक के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार प्रयुक्त करने के लिये दिया गया है वे अपना पदनाम प्रभारी, अपर निदेशक लिखेंगे न कि प्रभारी निदेशक।

2.2 यदि किसी अभियन्त्रण विभाग में मुख्य अभियन्ता का पद नहीं भरा जा सका है और अधीक्षण अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दे दिये गयें हैं वे अपना पदनाम प्रभारी, अधीक्षण अभियन्ता प्रयुक्त करेंगे न कि प्रभारी मुख्य अभियन्ता।

3— जिन अधिकारियों को प्रभारी के रूप में उच्चतर पद के दायित्व सौपे गयें हैं उन्हें विभागाध्यक्ष के अधिकार किस सीमा तक दिये जाने हैं इसके संबंध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर विचार करते हुए निर्णय लेगें।

4— उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नेपलच्याल)
प्रमुख सचिव।